प्रकरण आज नेशनल लोक अदालत मे इस खण्डपीठ के

राज्य द्वारा एडीपीओ उप0। आरोपी सहित अधिवक्ता श्री दाताराम बंसल उप०। फरियादी हामिद खां उप0। प्रकरण राजीनामा आवेदन पर आदेश हेतु नियत

है।

प्रकरण का अवलोकन किया गया जिससे यह पाया गया कि प्रकरण में आरोपी उस्मान खां के विरूद्ध भा0द0सं0 की धारा 294,323 एवं 506 भाग-2 के अंतर्गत आरोप विरचित किये गये हे। राजीनामा पूर्व में तस्दीक किया जा चुका है। फरियादी ने आरोपी से स्वेच्छापूर्वक बिना किसी दबाव के राजीनामा कर लेना व्यक्त किया है। राजीनामा लोकहित में है अतः उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत राजीनामा आवेदन स्वीकार किया जाता है एवं राजीनामा के आधार पर आरोपी उस्मान खां को भा०द०सं० की धारा 294,323 एवं 506 भाग–2 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

आरोपी पूर्व से जमानत पर है अतः उसके जमानत एवं मुचलके भारहीन किये जाते है।

> प्रकरण मे जप्तशुदा कोई सम्पत्ति नहीं है। प्रकरण का परिणाम दर्ज कर प्रकरण अभिलेखागार

भेजा जावे। खण्डपीट सदस्य. कृ.1-

क.2−

सही / – (प्रतिष्ठा अवस्थी) पीठासीन अधिकारी खण्डपीट क021 गोहद जो जारा की जिला जिला भिण्ड म0प्र0